

(1)

अ० शा० पत्रोक्त 1832/38 के दिनांक 4-3-68 के अन्तर्गत
 (यदि 5 हार्स पावर में अधिक होड की अवश्यकता है।)

प्रमाण - पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी के पास आय No १४३०८५२६३
 एकड़ भूमि है। जिसके लिये नलकूप लगाना चाहता है

JE (MI)
 Block- Maudaha
 Hamirpur

खण्ड विकास अधिकारी
 मौदहा (हमीरपुर)
 १४३०८५२६३

(2)

प्रमाण - पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी ने अपना कुआ बनाया है और उनकी विद्युत मांग उचित है।

(3)

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित नलकूप 25 मीटर चौड़ी नहर से 200 मीटर दूर है।
 मीटर चौड़ी नहर 100 मीटर दूर है।

JE (MI)
 Block- Maudaha
 Hamirpur

खण्ड विकास अधिकारी
 मौदहा (हमीरपुर)
 १४३०८५२६३

(4)

प्रमाण - पत्र
 JE (MI)
 Block- Maudaha
 Hamirpur

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी को प्रस्तावित नहर से ठीक पानी नहीं मिल पाता, तथा इस विभाग को प्रार्थी के नलकूप को कनेक्शन देने में अपत्ति नहीं है।

खण्ड विकास अधिकारी
 मौदहा (हमीरपुर)
 १४३०८५२६३

नहीं

कृष्ण स्त्री भूमि भविष्या पा० विकास निवासी एजेंट वनमा (विकास निवासी एजेंट वनमा)
 ने आपनी विविध भूमि सिवाय विकास निवासी एजेंट वनमा की ओर से विविध भूमि को विकास निवासी एजेंट वनमा को
 विविध भूमि को विकास निवासी एजेंट वनमा को विकास निवासी एजेंट वनमा को
 विविध भूमि को विकास निवासी एजेंट वनमा को विविध भूमि को

विविध भूमि
 ०३/०६/२०२३

कार्यालय सहायक अभियन्ता लघु सिचाई हमीरपुर।
पत्रांक १४८ / ल०सि० / स्था० / म०ग०बो० / २०२२-२३ दिनांक ३०-५- २०२३

बरीयता क्रमांक-

सफल बोरिंग प्रमाण पत्र/ सह परामर्श पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती भगिया पत्नि स्व० श्री शिवराम ग्राम किशनपुर रमना विकास खण्ड मौदहा जनपद हमीरपुर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में लघु सिचाई विभाग जनपद हमीरपुर द्वारा वित्तीय वर्ष २०२२-२३ में उनके द्वारा प्रस्तुत खतौनी के आधार पर खेत जिसका खसरा नम्बर ९३ है। में मध्यम गहरी बोरिंग की गयी है जो कि सफल है। बोरिंग बिक्सन के दौरान ६००० गैलन/घन्टा का डिस्चार्ज प्राप्त हुआ है। भूजल स्तर के आधार पर ७.५ एच०पी० एवं ०४ स्टेज का पम्प स्थापित करने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि कम्प्रेशर चलने के दिनांक से (६) माह के अन्दर पम्पहाउस का निर्माण कर बोरिंग को उर्जीकृत कराते हुये पम्प सेट की स्थापना कराकर उसका उपयोग करना प्रारम्भ कर दें।

अन्यथा की दशा में उसके बाद लघु सिचाई विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, जिसके लिये पूर्ण उत्तरदायी आप स्वर्य होगें।


अवरअभियन्ता(ल०सि०)
जनपद-हमीरपुर।


सहायक अभियन्ता(ल०सि०)
जनपद-हमीरपुर।

पत्रांक / तद दिनांक

प्रतिलिपि:-निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १—सम्बन्धित कृषक।
- २—राम्बन्धित अवर अभियन्ता।


सहायक अभियन्ता(ल०सि०)
जनपद-हमीरपुर।